न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

1— रमेश तनय वलदम अहिरवार

2— वल्देवा तनय कलुआ अहिरवार ,

3— सुकना तनय बृजलाल अहिरवार ,

4— हरिराम तनय वल्देवा अहिरवार ,

सभी निबासी ग्राम —भेलसी , तह0 वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

...............आवेदकगण

विरूद्व

1— गनेश तनय लक्षमन काछी

2—पूरनलाल तनय सुन्दरा कुश्वाहा ,

3— कुन्नू तनय सुन्दरा कुश्वाहा ,

4— लटकन तनय सुन्दरा कुश्वाहा ,

निबासी ग्राम भेलसी , तह0 बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़

...... प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है:—

1 यह कि आवेदकगण यह निगरानी अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 32/निगरानी/2007—08 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 04/01/2008 से परिवेदित होकर कर रहे है , जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र बिलंब माफी हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं , तथा माननीयय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2 यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विबरण इस प्रकार है कि तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़ द्वारा प्रतिनिगराकार को दिनॉक 30/03/2001 को अपने प्र0 क0 41/अ—19/4/1998—99 के माध्यम से ग्राम भेलसी स्थित शासकीय भूमि खसरा क0 1188/8 जुज रकवा 1.618 हे0 भूमि का पटटा कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के तहत विधि विरूद्व व्यवस्थापन किया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3909–दो/2012 जिला टीकमगढ़

रमेश आदि विरूद्ध गनेश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 32/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 04–1–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 8/3/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	